		Hazardous Occupations	Non-Hazardous Occupations	Total
25.	Pondicherry U.T.	0	617	617
26.	Punjnb	91	3523	3614
27.	Rajasthan	3026	5064	8090
28.	Sikkim	0	yet to be finalised	0
29.	Tamil Nadu	9493	8828	18321
30.	Tripura	11	264	275
31;	Uttar Pradesh	15105	18043	33148
32.	West Bengal	254	15792	18046
	Total (Provisional)	126685	428305	554970

संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर

2107. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान आज तक संगठित और असंगाठित क्षेत्रों में रोजगार के कितने अवसर पैदा किये गये हैं;

(ख) दिसम्बर, 1998 तक देश में बेरोजगार व्यक्तियों की श्रेणी-वार और राज्य वार संख्या कितनी-कितनी हैं;

(ग) रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मंत्रालय की कार्य योजना क्या हैं; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक वर्ष के दौरान रोजगार के कितने अवसर सृजित किये गये हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्या नारायण जठिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा वर्ष 1987-88 और 1993-94 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार संगठित व असंगाठित दोनों क्षेत्रों पर विचार करते हुए रोजगार अनुमान क्रमश: 292 मिलियन एवं 332 मिलियन थे तथा सामान्य प्रमुख स्तर के अनुसार बेरोजगारी अनुमान क्रमश: 12 मिलियन व 9 मिलियन थे।

(ग) नौंवी योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने व गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार वाले क्षेत्रों में सैक्टरों, सब सैक्टरों तथा श्रम सघन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास प्रक्रिया में स्वत: ही उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा।

(घ) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान सृजित अतिरिक्त रोजगार का वार्षिक अनुमान 8 से 9 मिलियन के लक्ष्य की तुलना में 6 से 8 मिलियन बीच था।

कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को जमा न कराया जाना

2108. **श्री मुनव्वर हसन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि महाराष्ट्र और गोवा में औद्योगिक इकाइयों ने कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की राशि की कटौती कर ली हैं परंतु इस राशि को कर्मचारी के खाते में जमा नहीं कराया हैं;।

(ख) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस राशि की वसूली और इसे कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कराने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचनानुसार 40 स्थापनाओं ने कर्मचारियों की मजदूरी से काटी गई 2.08 करोड़ रूपये की राशि को निधि में जमा नहीं किया हैं। पुलिस अधिकारियों के पास प्राथमिकता सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर, चूककर्ता स्थापनाओं के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई हैं।